BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

नशा मुक्त युवा अ भयान

वक सत भारत के निर्माण हेतु सशक्त चंतन

17 जुलाई, 2025

प्रमुख उपलब्धियां
• भारत की 65 प्रतिशत से अ धक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जिससे युवा नशामुक्त और वक सत भारत के निर्माण के प्रमुख प्रेरक बन गए हैं। • 2024 में, भारतीय कानून प्रवर्तन एजें सयों ने 25,330 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त कए, जो पछले वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत से अ धक की वृद् ध है, जो नशीले पदार्थों को रोकने की दिशा में तीव्र कार्रवाई को दर्शाता है। • वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शखर सम्मेलन (18-20 जुलाई 2025) "काशी घोषणा" के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लए युवाओं के नेतृत्व में एक अ भयान शुरू कर रहा है।

परिचय

नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक गंभीर वैश्विक समस्या बनी हुई है। यह धीरे-धीरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाती है, परिवारों को तोड़ती है और समुदायों को कमजोर करती है। इसके प्रभाव केवल व्यसन तक ही सी मत नहीं हैं। यह दीर्घका लक शारीरिक, मान सक और सामाजिक क्षति पहुंचाती है।

युवा, अमृत काल, वक सत भारत की यात्रा के अग्रदूत हैं। भारत की 65 प्रतिशत से अ धक जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है और औसत उम्र मात्र 28 वर्ष है, इस लए हमारे युवा ही राष्ट्रीय वकास की शक्ति के प्रेरक हैं।

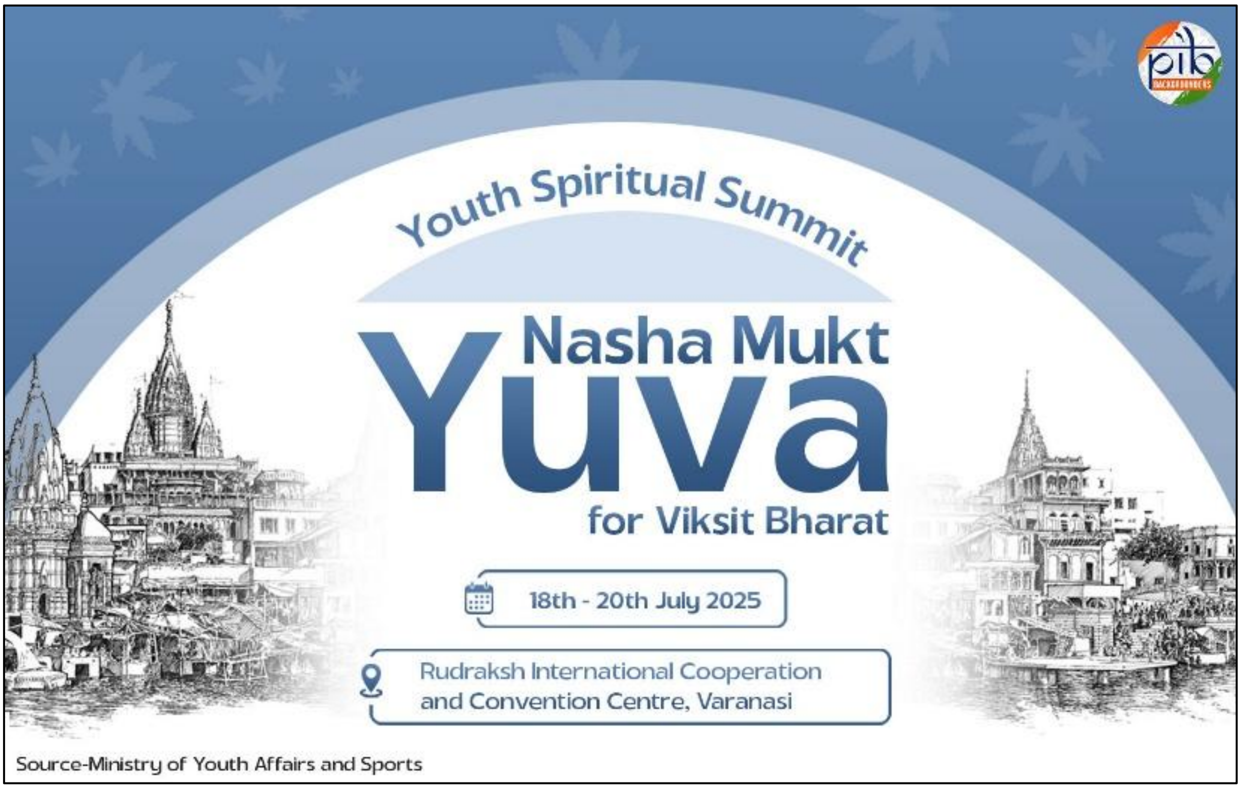

उनकी शक्ति, ऊर्जा और उद्देश्य की स्पष्टता भारत के भ वष्य को बदल सकती है, बशर्ते उन्हें नशे की लत जैसे वनाशकारी प्रभावों से बचाया जाए।

स्वामी ववेकानंद ने एक बार कहा था, "आप जो भी सोचेंगे, वही बनेंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप कमजोर बनेंगे; अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं, तो आप मजबूत बनेंगे।" युवाओं के लए एक सच्चे प्रेरणास्रोत, स्वामी ववेकानंद ने युवा मन को नशीली दवाओं के सेवन जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहने का मार्गदर्शन दिया। उनका मानना था क जो भी चीज कसी व्यक्ति को शारीरिक, मान सक या भावनात्मक रूप से कमजोर करती है, उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा और बुद् ध का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लए करने के लए प्रोत्साहित कया, न क खुद को नष्ट करने के लए।

इसी ष्टिकोण के साथ, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में तीन दिवसीय चंतन श वर, युवा आध्यात्मिक शखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका वषय "वक सत भारत के लए नशा मुक्त युवा" है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से मुक्त होने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भू मका को मजबूत करने में मदद करना है।

इस चंतन श वर में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और संस्कृति जैसे प्रमुख मंत्रालयों के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एम्स और 100 से अ धक आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं एक साथ आएंगी।

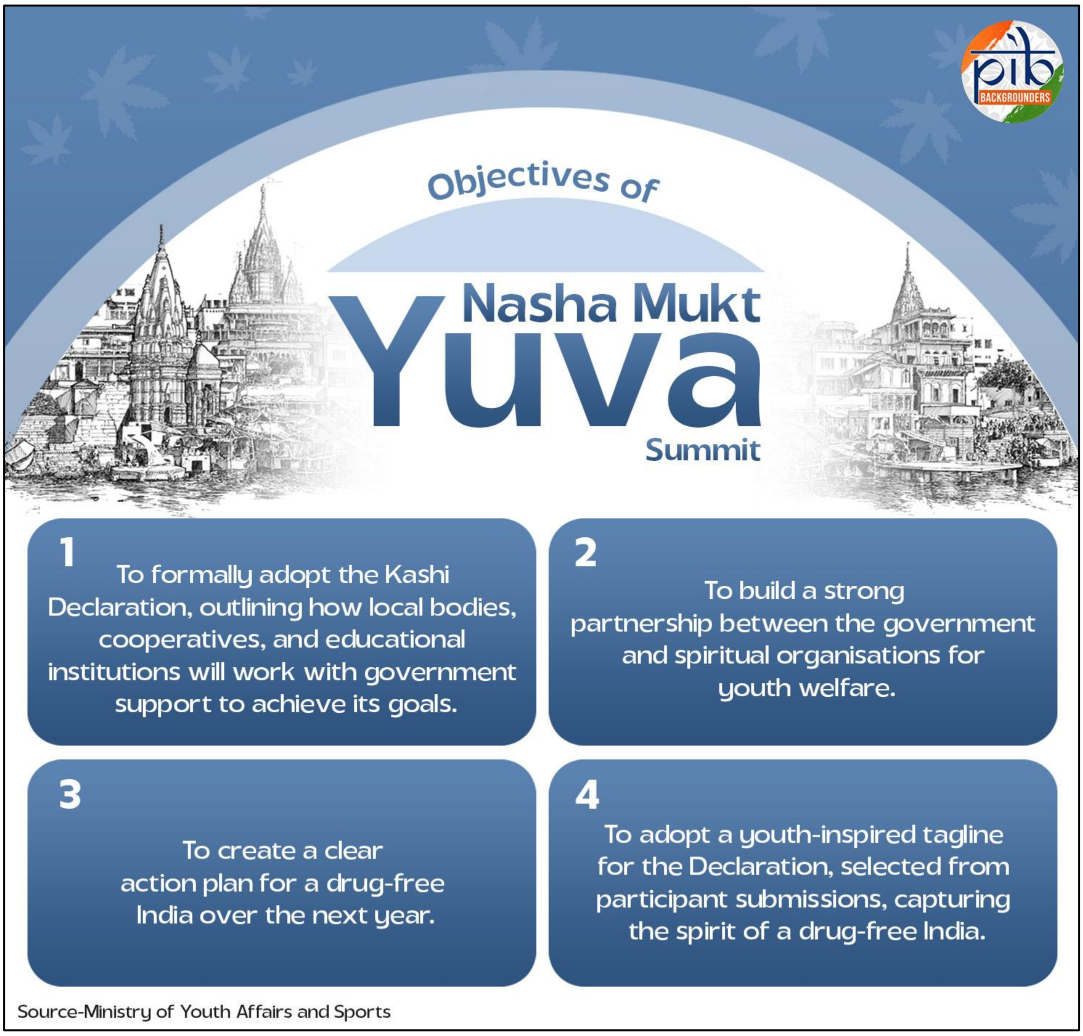

इसका उद्देश्य "काशी घोषणापत्र" के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व में नशे की रोकथाम के लए एक सशक्त राष्ट्रीय योजना तैयार करना है, जो एक स्वस्थ, नशामुक्त और वक सत भारत के लए एक संयुक्त रोडमैप होगा। इस योजना को स क्रय और पारदर्शी बनाए रखने के लए, वकासशील भारत युवा नेता संवाद (वीबीवाईएलडी 2026) के दौरान प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिससे निरंतर गति सुनिश्चित हो सके।

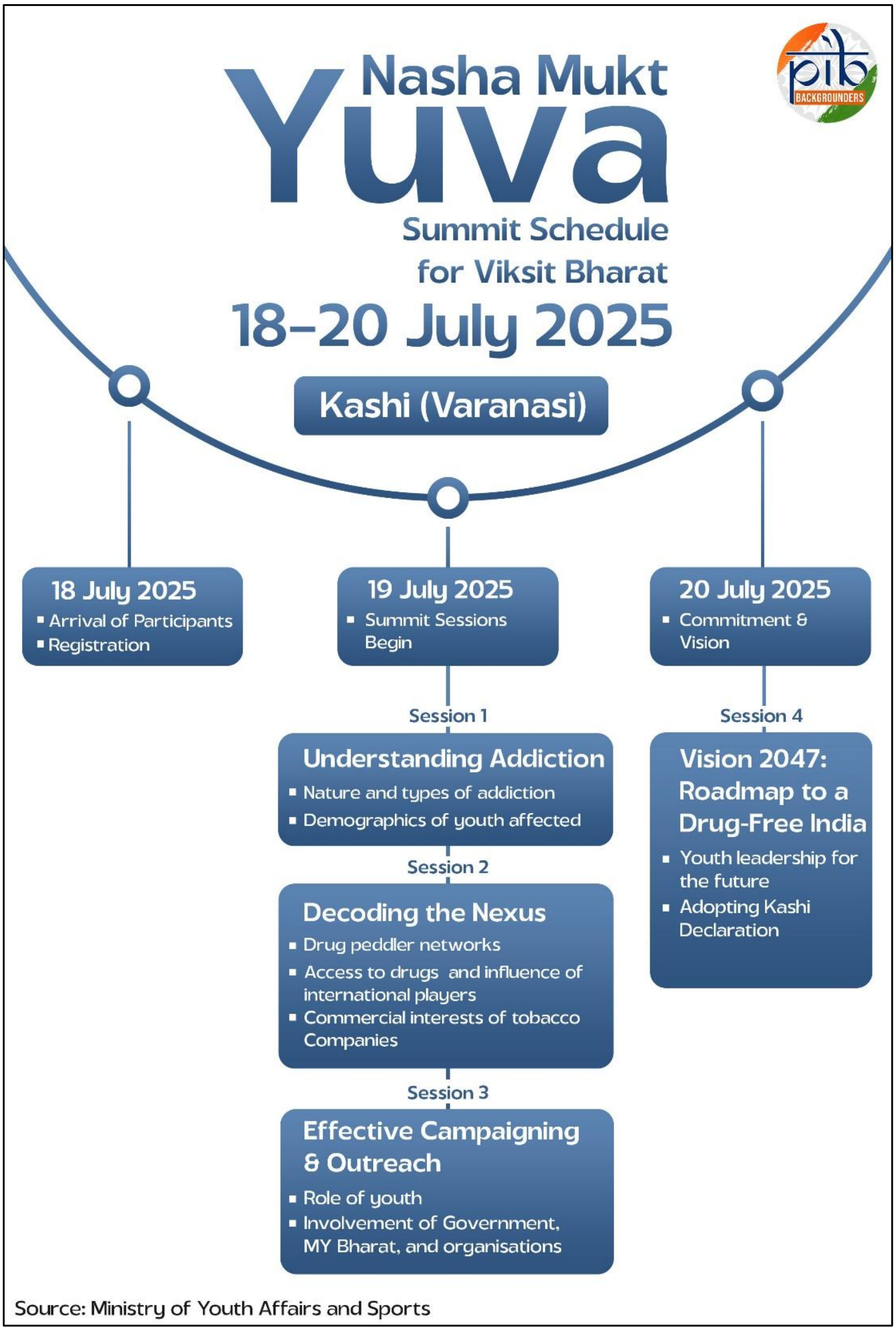

शखर सम्मेलन के परिणाम

• प्रत्येक सत्र में संबं धत हितधारकों द्वारा वक सत एक केंद्रित कार्य योजना तैयार की जाएगी।

• इन व्यक्तिगत योजनाओं को एकीकृत कया जाएगा और शखर सम्मेलन के दूसरे दिन काशी घोषणापत्र के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा।

• अंतिम प्रस्ताव में व शष्ट लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिम्मेदार एजें सयों को ना मत कया जाएगा और कार्यान्वयन के लए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

नशा मुक्त भारत के निर्माण में नागरिकों की भू मका

नशा मुक्त भारत अ भयान केवल एक सरकारी पहल नहीं है; यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जिसमें प्रत्येक नागरिक की स क्रय भागीदारी जरूरी है। नागरिक मलकर रोकथाम, जागरूकता और पुनर्वास में बड़ी भू मका निभा सकते हैं।

भागीदारी के तरीके

प्रतिज्ञा लें

एनएमबीए पोर्टल पर शपथ लेकर नागरिक नशा मुक्त भारत का समर्थन कर सकते हैं। यह देशहित में उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है।

स्वयंसेवक और प्र शक्षु

युवा और नागरिक नशा मुक्त भारत अ भयान में स्वयंसेवक या प्र शक्षु बनकर जुड़ सकते हैं। प्र शक्षण और क्षेत्रीय भागीदारी के जरिए वे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों में मदद कर सकते हैं।

वश्वसनीय जानकारी साझा करें

जनता से आग्रह है क वे मादक पदार्थों की तस्करी या आपूर्ति से संबं धत जानकारी की सूचना स्थानीय अ धकारियों को दें। समय से दी गई जानकारी अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने और नुकसान को रोकने में महत्वपूर्ण भू मका निभा सकती है।

आ धकारिक सूचना और संचार सामग्री का उपयोग करें

इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अ धकारिता मंत्रालय ने सूचना, शक्षा और संचार (आईईसी) से जुड़ी सामग्री वक सत की है। इस सामग्री में पोस्टर, वी डयो और रचनात्मक सामग्री शा मल है जिसका उपयोग शैक्ष णक संस्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर

कया जा सकता है। ये सामग्री जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

नशे की लत, इलाज, हेल्पलाइन और अ भयान से जुड़ी जानकारी देने के लए एनएमबीए वेबसाइट पर एक खास एफएक्यू सेक्शन उपलब्ध है।

एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें

एनएमबीए मोबाइल ऐप से अ भयान की ताज़ा जानकारी, रिपोर्टिंग, स्वयंसेवकों द्वारा रीयल-टाइम डेटा भेजने और मदद से जुड़ी जानकारी मलती है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति

सरकार ने एक केंद्रित और संगठित ष्टिकोण के साथ नशीली दवाओं के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है। भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लए युवाओं और आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर इस लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। केवल एक वर्ष की अव ध में, इस ष्टिकोण के कारण देश भर में नशीली दवाओं की जब्ती, गरफ्तारियों और समन्वित कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद् ध हुई है।

2024 में, एनसीबी सहित देश भर की कानून प्रवर्तन एजें सयों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कीं, जो 2023 में जब्त की गई 16,100 करोड़ रुपये से 55 प्रतिशत अ धक है। 2024 में, अ धक हानिकारक और नशे की लत वाली संथेटिक दवाओं, कोकीन और साइकोट्रॉ पक पदार्थों के रूप में उपयोग की जाने वाली फार्मास्युटिकल दवाओं की जब्ती में उल्लेखनीय वृद् ध हुई है।

एटीएस (एम्फ़ैटे मन-प्रकार उत्तेजक) संथेटिक ड्रग्स हैं जो मस्तिष्क, हृदय और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

- मेथैम्फेटामाइन (मेथ): एक क्रस्टल जैसी दवा जो मस्तिष्क और हृदय को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है।
- कोकीन: एक सफेद पाउडर जो दिल के दौरे और तीव्र लत का कारण बन सकता है।
- मेफेड्रोन: एक पार्टी ड्रग जो चंता, भ्रम और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बनता है।

• हशीश: भांग से नि र्मत होने के कारण यह याददाश्त और मान सक स्वास्थ्य को प्रभा वत करता है।

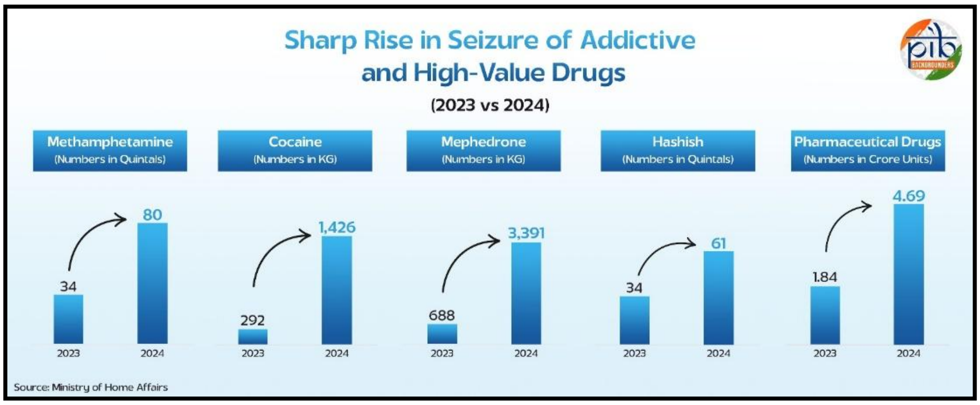

एनसीबी की कार्रवाई का दशक

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) वर्षों से एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के नेटवर्क को तोड़ने के लए अथक प्रयास कर रहा है। पछले एक दशक में दर्ज मामलों, गरफ्तारियों और जब्त कए गए मादक पदार्थों की मात्रा और मूल्य में भारी वृद् ध देखी गई है।

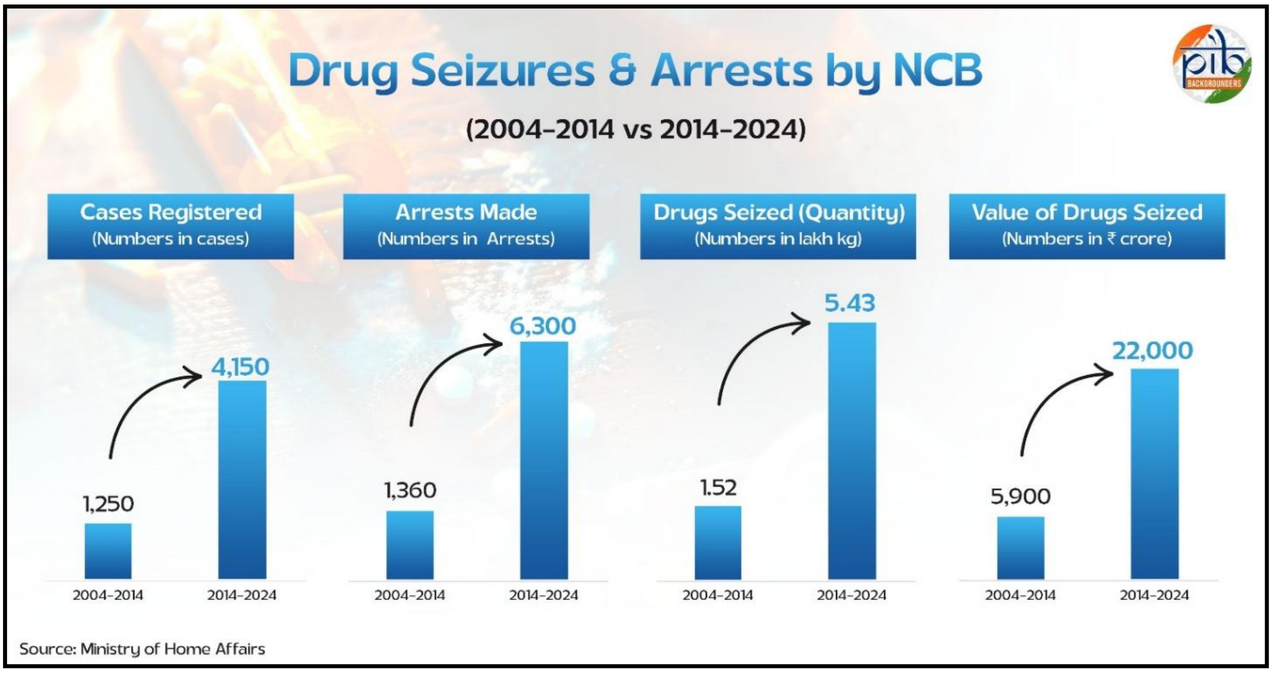

मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के खलाफ राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने के लए भारत सरकार द्वारा 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार की देखरेख में कार्यरत, एनसीबी एनडीपीएस अ धनियम और संबं धत कानूनों के तहत राज्यों और व भन्न एजें सयों के बीच प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों का समन्वय करता है। यह भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लए वैश्विक सहयोग का समर्थन करता है, और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबं धत मुद्दों के समाधान के लए अन्य मंत्रालयों के साथ मलकर काम करता है।

राष्ट्रव्यापी मादक पदार्थ प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लए, प्रमुख संरचनात्मक वस्तार के माध्यम से नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को काफी मजबूत कया गया है।

एनसीबी का वस्तार

- क्षेत्रीय कार्यालय: 3 से बढ़कर 7 हो गए (जैसे, अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद)
- क्षेत्रीय कार्यालय: 13 से बढ़कर 30 हो गए, जिनमें गोरखपुर, सलीगुड़ी, अगरतला, ईटानगर और रायपुर में नए कार्यालय शा मल हैं।
- कर्मचारियों की संख्या: 536 पद जोड़े गए, जिससे स्वीकृत संख्या बढ़कर 1,496 हो गई।
- नार्को-कैनाइन पूल: बेहतर पहचान के लए 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में नार्को-के9 इकाइयां तैनात की गईं।

नार्को-आतंकवाद गठजोड़ पर प्रहार

नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, एजें सयों ने 2024 में देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती की। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, नशीली दवाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने और अपरा धयों को न्याय के कटघरे में लाने के लए एक समग्र सरकारी ष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

- एनसीबी, नौसेना और गुजरात पु लस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अ भयान में, 3132 कलोग्राम नशीली दवाओं की एक वशाल खेप जब्त की गई।

• सुरक्षा एजें सयों ने एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गरोह का भंडाफोड़ कया और गुजरात में 700 कलोग्राम से अ धक प्रतिबं धत मेथामफेटामाइन जब्त कया।

• एनसीबी ने नई दिल्ली में 82.53 कलोग्राम हाई ग्रेड कोकीन जब्त कया।

• दिल्ली के एक कूरियर सेंटर में बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त कए जाने के बाद, लगभग 900 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाओं की इस बड़ी खेप का पूरा-पूरा पता लगाया गया।

• एजें सयों ने वर्ष 2024 में गहरे समुद्र से कुल 4,134 कलोग्राम मादक पदार्थ भी जब्त कए।

• वर्ष 2024 में, गृह मंत्रालय के अधीन एजें सयों ने 1,17,284 कलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट कए।

नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के उपाय

केंद्र सरकार ने पछले 5 वर्षों में 'संपूर्ण सरकारी ष्टिकोण' और संरचनात्मक, संस्थागत एवं सूचनात्मक सुधारों के तीन स्तंभों के आधार पर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कया है।

• 4 स्तरीय एनसीओआरडी (नार्को-समन्वय केंद्र) तंत्र: एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से शीर्ष से जिला स्तर तक सभी हितधारकों के बीच समन्वय।

• मादक द्रव्य- वरोधी कार्य बल (एएनटीएफ): एनसीओआरडी के निर्णयों को लागू करने के लए प्रत्येक राज्य/केंद्र शा सत प्रदेश में वरिष्ठ पु लस अ धकारियों के नेतृत्व में सम र्पत टीमें।

• संयुक्त समन्वय स मति (जेसीसी): एनसीबी महानिदेशक के नेतृत्व में प्रमुख मादक द्रव्यों की जब्ती और जांच की निगरानी।

• सशक्त सीमा एवं रेलवे बल: बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), असम राइफल्स, एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल), भारतीय तटरक्षक बल और आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) को एनडीपीएस अ धनियम के तहत मादक द्रव्यों की तस्करी से संबं धत मामलों में तलाशी, जब्ती और गरफ्तारी करने के लए अ धकृत कया गया है।

एनडीपीएस अ धनियम (1985) भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लए बनाया गया एक प्रमुख कानून है। यह नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक क उन्हें च कत्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लए अनुमति न दी जाए। यह

उल्लंघनों के लए कठोर दंड का प्रावधान करता है और नशीली दवाओं पर निर्भर लोगों के उपचार में सहायता करता है।

• अंतर-एजेंसी संयुक्त अ भयान: एनसीबी राष्ट्रव्यापी अ भयानों के लए नौसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ, राज्य एएनटीएफ और अन्य के साथ समन्वय करता है।

• क्षमता निर्माण और प्र शक्षण: सभी ड्रग प्रवर्तन एजें सयों को निरंतर व्यावसायिक प्र शक्षण प्रदान कया जाता है।

• डार्कनेट और क्रप्टो टास्क फोर्स: साइबर ड्रग तस्करी के रुझानों, निगरानी और कानूनी अपडेट पर केंद्रित एमएसी स्तर की इकाई।

एमएसी का अर्थ है मल्टी-एजेंसी सेंटर। एमएसी स्तर पर, भारत की व भन्न खु फया और प्रवर्तन एजें सयां सूचनाओं का आदान-प्रदान करने, कार्यों का समन्वय करने और नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े खतरों पर नजर रखने के लए एक साथ आती हैं।

• राष्ट्रीय हेल्पलाइन (मानस 1933): नशीली दवाओं से संबं धत पूछताछ और रिपोर्टिंग के लए 24×7 टोल-फ्री प्लेटफॉर्म।

• फोरें सक लैब सहायता: राज्य फोरें सक सु वधाओं के उन्नयन हेतु केंद्रीय सहायता।

• समुद्री सुरक्षा समूह - एनएससीएस (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स चवालय): समुद्री मार्ग से नशीली दवाओं की तस्करी का वश्लेषण और समाधान करने के लए नवंबर 2022 में स्था पत।

• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: पड़ो सयों (म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, आदि) के साथ महानिदेशक स्तर की द् वपक्षीय वार्ता समुद्री और स्थलीय नशीली दवाओं के मार्गों पर केंद्रित।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक

मादक द्रव्यों के उपयोग की बढ़ती चुनौती से निपटने के लए, सामाजिक न्याय एवं अ धकारिता मंत्रालय ने देश भर में रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित ल क्षत कार्यक्रम वक सत और कार्यान्वित कए हैं।

नशा मुक्त भारत अ भयान (एनएमबीए)

सामाजिक न्याय एवं अ धकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू कया गया, नशा मुक्त भारत अ भयान (एनएमबीए) रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लए एक राष्ट्रव्यापी अ भयान है।

• एनएमबीए वेबसाइट: व्यापक संसाधन, रीयल-टाइम डैशबोर्ड, ई-प्लेज के वकल्प और वशेषज्ञों के नेतृत्व में चर्चा हेतु मंच।

• एनएमबीए मोबाइल ऐप: मास्टर स्वयंसेवकों द्वारा व्यापक उपयोग के साथ, जमीनी स्तर के डेटा एकत्र करता है और उसकी निगरानी करता है।

• राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (14446): प्राथ मक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान करती है।

नशा मुक्त भारत अ भयान के तहत, 16.5 करोड़ से अ धक लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कया गया है। 27.76 लाख से अ धक व्यक्तियों को उपचार और पुनर्वास सहायता मली है। सरकार देश भर में 730 से अ धक निःशुल्क पुनर्वास केंद्र चला रही है। सामुदायिक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने के लए, 10,000 से अ धक मास्टर स्वयंसेवकों को आउटरीच और जागरूकता गति व धयों में सहायता के लए प्र श क्षत कया गया है।

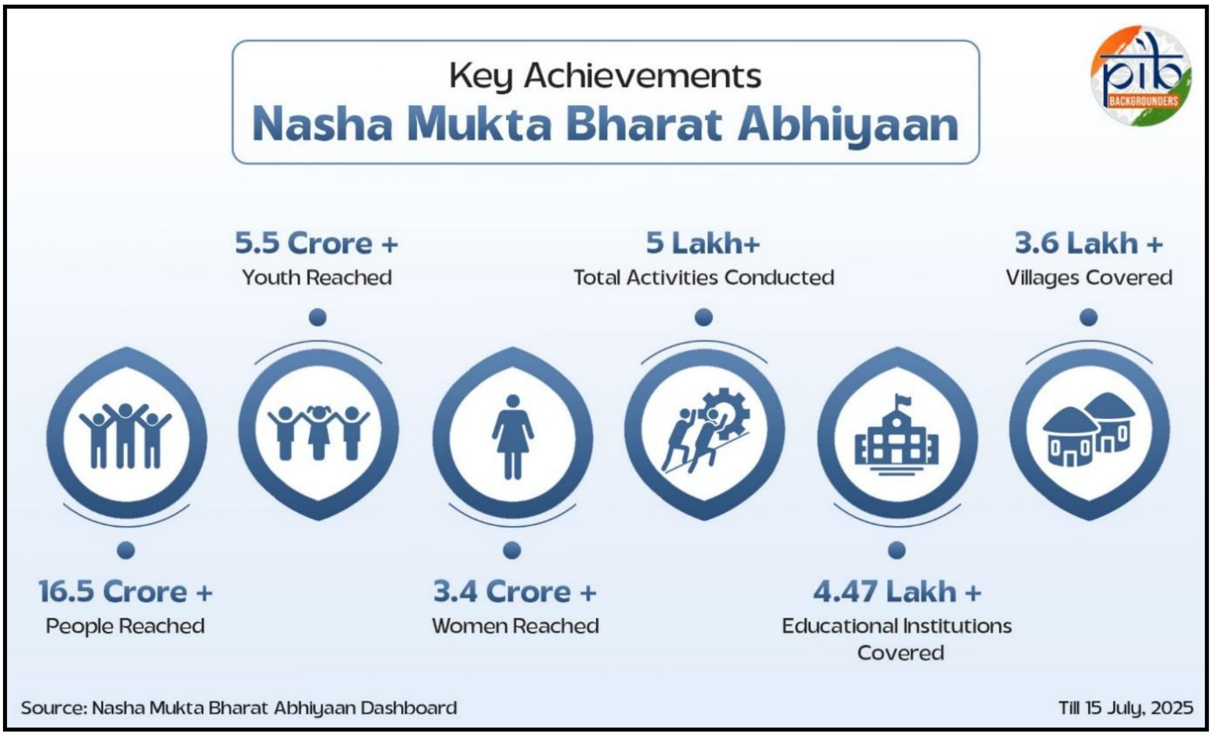

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)

सामाजिक न्याय एवं अ धकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत निम्न ल खत को वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

• 342 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) नशा करने वालों को परामर्श, वषहरण/नशामुक्ति, पश्चात देखभाल और सामाजिक मुख्यधारा में पुनः एकीकरण के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती उपचार प्रदान करते हैं।

• 47 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व क्रयाकलाप (सीपीएलआई) कार्यक्रम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ मलकर नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं और उन्हें जीवन कौशल सखाते हैं।

• 74 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) जो स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और परामर्श के प्रावधान के साथ सुर क्षत स्थान प्रदान करते हैं और उसके बाद उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लए रेफरल और लंकेज प्रदान करते हैं।

• सरकारी अस्पतालों में 83 व्यसन उपचार सु वधाएं (एटीएफ)।

• 53 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) जो आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी तीन सु वधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शखर सम्मेलन मादक द्रव्यों के सेवन के वरुद्ध एकजुट और स क्रय संघर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख मंत्रालयों, प्रवर्तन एजें सयों, आध्यात्मिक गुरुओं और युवा संगठनों को एक साथ लाकर, यह जागरूकता, करुणा और सामूहिक संकल्प पर आधारित एक जन-नेतृत्व वाले आंदोलन की नींव रखता है।

यह पहल माननीय प्रधानमंत्री के एक स्वस्थ, व्यसन-मुक्त और आत्मनिर्भर युवाओं के ष्टिकोण को दर्शाती है जो एक वक सत भारत की रीढ़ बनेंगे। यह युवा नागरिकों की जीवंतता और नेतृत्व क्षमता में वश्वास करता है जो राष्ट्र को एक स्वस्थ भ वष्य की ओर ले जा सकते हैं।

यह युवा आध्यात्मिक शखर सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं है। यह कार्य के लए एक राष्ट्रीय आह्वान है, जहां नीति, समुदाय और आध्यात्मिकता एक साथ मलकर एक नशा-मुक्त और सशक्त पीढ़ी का निर्माण करते हैं।

संदर्भ

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2144515

पीआईबी पृष्ठभू म:

- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151910&ModuleId=3#:~:text=The%20International%20Day%20against%20Drug,world%20free%20of%20drug%20abuse.
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/may/doc202556550801.pdf
- https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114503

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय:

- https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html
- https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Synthetic_Drugs_in_East_and_Southeast_Asia_2025.pdf

गृह मंत्रालय

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101471
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088945
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101471#:~:text=Under%20the%20leadership%20of%20Prime%20Minister%20Shri%20Narendra%20Modi%2C%20while,higher%20compared%20to%20the%20%E2%82%B9
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2048731
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2110811

सामाजिक न्याय एवं अ धकारिता मंत्रालय

- https://nmba.dosje.gov.in/dashboard
- https://nmba.dosje.gov.in/public/uploads/pdf/NL%2010.pdf
- https://nmba.dosje.gov.in/public/assets/resources/newsletter_Int_Drug_Day_Edition.pdf

सोशल मी डया लंक:

- https://www.facebook.com/unodc/posts/ahead-of-worlddrugday-lets-break-the-cycle-of-organized-crime-trapping-communiti/1230971085740499/

***

एमजी/केसी/एसकेएस/एसवी